उत्तर रेलवे

सार्वजनिक सूचना

श्री हरपाल सिंह, पुत्र श्री ओंकार सिंह, एच.टी.ई/निज़ामुद्दीन 17.12.2016 से अब तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। उन्हें बड़ी शास्ति का आरोप पत्र दिनांक 27.12.2019 को जारी किया गया था, जो आपके द्वारा प्राप्त ना किये जाने पर आपको स्पीड पोस्ट द्वारा एवं आपके निवास स्थान पर भेजी गई, परन्तु श्री हरपाल सिंह ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। इसके पश्चात केस में इंकुइरी ऑफिसर का चयन दिनांक 14.02.2020 को किया गया परंतु आप इंकुइरी के लिए नियुक्त की गयी एक भी तारीख में प्रस्तुत नहीं हुए। इंकुइरी ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 08.06.2021 को दी जो की फिर से आपके द्वारा प्राप्त नहीं की गयी इसलिए वह आपके निवास स्थान पर स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी गयी जिसका जवाब अभी तक आपके द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए श्री हरपाल सिंह, पुत्र श्री ओंकार सिंह को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वह इस अनुशासन एवं अपील नियम कार्यवाही के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन देना चाहती है, तो **15 दिन के अंदर** दे दें। यदि इसके लिए उन्हें किसी प्रलेख की आवश्यकता है तो वह, Security Cell/Comml. मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, नई दिल्ली से संपर्क करें। यदि **15 दिनों के अंदर** कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो, अनुशासिक अधिकारी द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड तथा साक्ष्यों के आधार पर एक तरफा फैसला ले लिया जाएगा।

2210/2021

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ